जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति | दिनांक-14.02.2025

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 21.09.2024 को वादी मुस्तफा पुत्र लतीफ निवासी मौहल्ला लाल मस्जिद थाना थानाभवन जनपद शामली के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर द्वारा सामान चोरी करने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 14.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी किये गये सामान सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.फरमान पुत्र माशूक निवासी ग्राम रायपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.कुण्डल पीली धातु 02 जोड़ी।

2.कान की बाली सफेद धातु 01 जोड़ी।

3.पायल सफेद धातु 01 जोड़ी।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 14.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सोनू कुमार पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम जसोई थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामदः-

दिनांक 13/14.02.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से 02 अभियुक्तों को 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.गुरुमुख पुत्र दर्शन निवासी डेरा दर्शन सिंह ग्राम डोकपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.बिट्टू पुत्र रमेश निवासी ग्राम गागौर थाना झिझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 20 लीटर कच्ची शराब।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुरुमुख उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 02/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 148/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 535/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना कोतवाली शामली/झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 14.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली/झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.सलमान पुत्र शहजाद निवासी गुलशन नगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.सन्नी पुत्र ओमकार सिह निवासी ग्राम झाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.मोनू उर्फ मोहन पुत्र शौकीन निवासी ग्राम गागौर थाना झिझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामलों में 07 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 16,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 1996 में अभियुक्तगण 1.सहाब सिंह पुत्र आत्माराम 2.महेश पुत्र हरवीर 3.सज्जन पुत्र निरंजन सिंह 4.सत्यप्रकाश पुत्र श्याम सिंह 5.इन्द्रपाल पुत्र श्रीचन्द निवासीगण ग्राम मखमूलपुर थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 216/1996 धारा 136(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 14.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 2,500-2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 1998 में अभियुक्त वेदप्रकाश पुत्र हेमराज निवासी ग्राम बामनौली थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 240/1998 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 14.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 1998 में अभियुक्त सराफत पुत्र मंजूरा निवासी ग्राम पत्थरगढ़ थाना सदर जनपद पानीपत हरियाणा के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 158/1998 धारा 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 14.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI